



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1943 (श0)
(सं0 पटना 21) पटना, शुक्रवार, 7 जनवरी 2022

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त 2021

सं० 7/विविध-45/2017-859—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल के द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्तों को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. iLrkouk A& राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के विस्तार के उपरान्त उसके प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता है। साथ ही, 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 'क' के प्रावधानों को लागू करने हेतु अधिसूचित "बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009", वर्ष 2018 से प्रवृत्त समग्र शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए विद्यालय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन प्रधान शिक्षक का एक नया संवर्ग का गठन किया जाना है। इससे राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के नियंत्राधीन कार्यरत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक को प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। अतएव प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति, उनके सेवाशर्त आदि के गठन हेतु यह नियमावली बनायी जा रही है।

2. lf{klr uke] foLrkj ,o ikjEHk %&

(क) यह नियमावली "बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021" कही जायेगी।

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

3- ifjHkk"kk, :-इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो -

(i) Dljdkjß से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(ii) bi'kk1h foHkkxß से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;

(iii) MikFkfed fo|ky;** से अभिप्रेत है, राजकीयकृत विद्यालय/नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, जहाँ वर्तमान में कक्षा पाँच तक की शिक्षा की व्यवस्था है ;

(iv) Me/; fo|ky;** से अभिप्रेत है वैसे राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय, जहाँ वर्तमान में कक्षा आठ तक की शिक्षा की व्यवस्था है ;

- (v) $\beta i k j f h k d f o | k y ; **$ से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय/नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ;
- (vi) $^M x k e i p k ; r **$ से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत ;
- (vii) $^M i p k ; r l f e f r **$ से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत गठित पंचायत समिति ;
- (viii) $** u x j f u d k ; **$ से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था—नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत ;
- (ix) $\beta l o x \beta$ से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का प्रधान शिक्षक का संवर्ग ;
- (x) $\beta f u ; f D r i k f / k d k j \beta$ से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी ;
- (xi) $\beta v u ' k k l f u d i k f / k d k j \beta$ से अभिप्रेत है, जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो ;
- (xii) $^M v i h y h ; i k f / k d k j **$ से अभिप्रेत है, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ;
- (xiii) $\beta f ' k \{ k d \beta l i v f h k i i r g \&$
 (क) इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक ;
 (ख) इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक ;
- (xiv) $\beta i / k k u f ' k \{ k d \uparrow$ अभिप्रेत है, β स नियमावली के अधीन प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधान शिक्षक ;
- (xv) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है, परिनियत (स्टैच्यूटरी) से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;
- (xvi) $** j k " V h ; v / ; k i d f ' k \{ k k i f j " k n **$ से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद् ;
- (xvii) $\beta f ' k \{ k d i k = r k i j h \{ k k \beta$ से अभिप्रेत है, बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा वर्ग-1 से 5 एवं वर्ग-6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा ;
- (xviii) $\beta f ' k \{ k d i f ' k \{ k . k \beta$ से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डी.एल.एड./बी०टी०/बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०/बी०एल०एड० की डिग्री अथवा वैसे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहाँ NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.एल.एड./बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०/बी०एल०एड० की डिग्री ;
- (xix) $\beta v k ; k x \beta$ से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग ;
4. $\beta l o x \beta d k x B u \uparrow$ —शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के संवर्ग का गठन किया जाता है। यह संवर्ग जिला स्तर का होगा।
5. $i / k k u f ' k \{ k d d i l h k h i n l h / k h f u ; f D r l i H k j i t k , i x A$
6. $i / k k u f ' k \{ k d i k f k f e d f o | k y ; d i i n i j f u ; f D r g r i v f u o k ; i v g r k f u E u o r g k x h \&$
 (i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों।
 (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।
 (iii) मान्यता प्राप्त संस्था से डी.एल.एड./बी०टी०/बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०/बी०एल०एड० उत्तीर्ण होना।
 (iv) वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना।

- (v) **vuHko A&**
 (क) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा।
 (ख) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत स्नातक शिक्षक, जिनकी सेवा संपुष्ट हो।
 उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर की जाएगी।
- (vi) **vk; A&** बिहार सरकार, पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी।
7. **vkj{k.k %&**
 (i) राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
 (ii) प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति जिलास्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।
 (iii) प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय का आरक्षण—समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
 (iv) प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिन्दु 01 से प्रारंभ होगा।
8. **fu;fDr dh ifØ;k %&**
 (i) शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था को भेजी जायेगी।
 (ii) सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में शिक्षक—अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा।
 (iii) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में लिखित परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा किया जाएगा।
 (iv) यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्न की होगी, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा की अवधि दो घण्टा की होगी।
 (vi) लिखित परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था को होगा।
 (vii) आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा संचालित लिखित परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।
 (viii) आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तबतक नहीं प्रदान करेगी, जबतक की यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
9. **iek.k i=k dh tkp %&**
 (i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथाआवश्यक जाँच करा लेंगे।
 (ii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उडिसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
10. **ifjoh{k vkf/k :-**
 (i) सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा अवधि, योगदान की तिथि के प्रभाव से दो वर्षों के लिए होगी। परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी

सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रधान शिक्षक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवामुक्त कर सकेगा।

- (ii) परिवीक्षा अवधि में प्रधान शिक्षक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा।

11. foHkxh; ijh{kk ।—परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरा करने और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त प्रधान शिक्षक को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश राष्ट्रीय परीक्षा समिति राजस्व पर्वद, बिहार द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से अलग से निर्गत किया जायेगा।

12. lEif"V ।—परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

13. ojh; rk lph :-

- (i) प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी।

- (ii) यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा।

14. LFkkukUrj.k :-

- (i) प्रधान शिक्षक का पद स्थानान्तरणीय होगा।

- (ii) मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग एवं प्रशासी विभाग द्वारा स्थानान्तरण के निमित्त समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में स्थानान्तरण की कार्यवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा।

- (iii) प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय का अन्तर जिला स्थानान्तरण ऐच्छिक/प्रशासनिक/शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार निदेशक, प्राथमिक शिक्षा होंगे। अन्तर जिला स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानान्तरित प्रधान शिक्षक की वरीयता स्थानान्तरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित प्रधान शिक्षक की वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी।

15. vu'kkIfud dkjokb ।—बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक पर प्रभावी होगा।

16. lok lc/kh 'kŸki %&

- (i) प्रधान शिक्षक के पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जायेंगे, जो समय-समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

- (ii) प्रधान शिक्षक का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

- (iii) राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू अन्य सेवाशर्त इनपर भी प्रभावी होगा।

17. vudEik d vk/kkj ij fu;fDr A&इस नियमावली के अधीन नियुक्त प्रधान शिक्षक के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके एक अर्हताधारी आश्रित को संबंधित पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद अथवा विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित आश्रित को सहमति देना आवश्यक होगा। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधानों के अनुरूप, पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अन्तर्गत गठित नियोजन समिति के द्वारा किया जा सकेगा।

18. vkpj.k lfgrk %&

- (i) निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना/कराना।

- (ii) समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना/कराना।

- (iii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना।

- (iv) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।

- (v) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल-विवाह एवं दहेज-प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना।

- (vi) बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं संबंधित नियमावली में शिक्षकों के लिए वर्णित दायित्वों का निर्वहन करना।

- (vii) प्रधान शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे।

19. f'kdk;r ,o vihy A&इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधान शिक्षक की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को होगी।

20. idh.k A&प्रशासी विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

21. fuj lu ,o 0;kofUk A&इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक-स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 में निहित प्रावधान प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के पद के लिए प्रभावी नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

Education Department

Notification

27th December 2021

No. 07/Misc-45/2017-1431.— In exercise of the powers conferred under the proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar has framed the following Rules to determine the Appointment and service Condition of Head teacher of Nationalised Primary School.

1. **Preamble.**—After the expansion of School Education in the State of Bihar it is eminent to have proper management and reformation in quality education. Besides, it is directed to have effective measures at the school level in order to implement Article 21 A of the Constitution of India in respect of Children in the age group of 6-14 years taking into account the provisions of notified "The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009", Samagra Siksha effective from 2018 and National Education Policy 2020. In order to achieve these objectives a new cadre of Head teacher is to be constituted under the control of Education Department, Govt. of Bihar. It will also provide opportunity for appointment as Head teacher to the working teachers of Panchayat primary teachers and Urban Primary Teacher under Panchayati Raj Institution in the State owned Schools. Thus, this Rule is being framed for Appointment and constitution of service Condition of the Head teacher.

2. **Short title, extent and commencement:-**

- A. These Rules shall be called as "Bihar Nationalised Primary School Head teacher (Appointment, Transfer, Disciplinary Action and service Condition) Rules, 2021.
- B. It shall extend throughout the State.
- C. It shall come into force from the date of issuance of Notification.

3. **Definition:- Notwithstanding anything contained in these Rules:-**

- (i) **Government** Means Government of Bihar;
- (ii) **Administrative Department** means Education Department;
- (iii) **Primary School** means Nationalized School / Newly created Primary School, where at present the education up to class- V is being imparted;
- (iv) **Middle School** means such government / Nationalized Schools, where at present education up to Class VIII is being imparted;
- (v) **Elementary School** means Govt. / Nationalized Middle and Primary / Newly created primary school;
- (vi) **Gram Panchayat** means Gram Panchayat constituted under Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Amended from time to time);
- (vii) **Panchayat Samiti** means Panchayat Samiti constituted under Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Amended from time to time);

- (viii) **Urban bodies** means Nagar Nigam, Nagar Parishad and Nagar Panchayat, autonomous bodies for the Urban areas constituted under Bihar Municipal Act, 2007;
- (ix) **Cadre** means cadre of Head teacher at the District level under these Rules;
- (x) **Appointing Authority** means the District Education Officer of the concerned District;
- (xi) **Disciplinary Authority** means the authority competent for appointment;
- (xii) **Appellate Authority** means Director, Primary Education;
- (xiii) **Teacher means**
 - (A) The teacher appointed to impart education for Class 1 to 5 in the identified Schools under these Rules;
 - (B) The Teacher appointed to impart education for Class 6 to 8 in the identified Schools under these Rules;
- (xiv) **Head teacher** means the Head teacher appointed in Primary Schools under these Rules;
- (xv) **University** means University constituted under statutes or recognized by the University Service Commission;
- (xvi) **National Council for Teacher Education** means Council for regulating Training Institutes earmarked and Management of Training at the National level;
- (xvii) **Teacher Eligibility Test** means the Eligibility Test conducted for appointment of teachers for Class- 1 to 5 and Class 6 to 8 by the authorized Institutions of Govt. of Bihar or Central Govt.;
- (xviii) **Teacher Training** means the degree of D.El.Ed. / B.T / B.Ed. / B.A.Ed / B.Sc.Ed. / B.L.Ed obtained from recognized institutions of the Central Govt. or any State Govt. prior to enforcement of National Council for teacher Education (NCTE) Act, 1993 or from any recognized Institution by the N.C.T.E. Act after enforcement of NCTE or the degree of D.El.Ed. / B.Ed. / B.A. Ed. / B.Sc.Ed / B.L.Ed from any recognized Institution in such States / Union Territories where the N.C.T.E. Act is not in force;
- (xix) **Commission** means Bihar Public Service Commission;

4. **Constitution of Cadre.**—The cadre of Head teacher of Primary School under the Control of Education Department is being constituted. This Cadre will be of district level.

5. The Post of Head teacher shall be filled up through direct recruitment.

6. The essential qualification for appointment as Head teacher of Primary School will be as follows:-

- (i) Must be a citizen of India and resident of the State of Bihar.
- (ii) Degree of graduation from any recognized University with having minimum 50% marks. 5% relaxation shall be given in the minimum prescribed marks to the candidates belonging to SC/ST/EBC/BC/ Differently abled/female and EWS. The Degree of Aalim obtained from Maulana Mazharul Haque Arbi and Persian University Patna / Bihar State Madarsa Education Board and degree of Shastri from Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University will be treated to be equivalent to Graduation.
- (iii) Having qualified D.El.Ed / B.T / B.Ed. / B.A.Ed / B.Sc.Ed / B.L.Ed.
- (iv) Having qualified Teachers Eligibility Test for those teachers who have been appointed in the year 2012 or onwards.

(v) **Experience:-**

- (A) Having minimum 8 years of regular service as basic grade teacher of Panchayat Elementary Teacher / Urban Elementary Teacher under Panchayat Raj Institutions and Urban Local Body Institutions.
- (B) Graduate teacher of Panchayati Raj Institutions or Urban bodies Institutions whose services are confirmed.

The aforesaid period shall be reckoned on the basis of date of joining or the date of acquiring eligibility of training whichever is of the later date.

- (vi) **Age.—** The minimum and maximum age limit for teachers working under Government of Bihar, Panchayati Raj Institutions and Urban local bodies shall not be determined separately.

7. **Reservation:-**

- (i) The provisions of Reservation for direct recruitment under the State Government prescribed by the General Administration Department shall be applicable.
- (ii) The appointment of Head teacher of Primary School shall be made as per reservation roster maintained at the district level.
- (iii) The work pertaining to roster clearance of Head teacher, Primary School shall be done by the District Magistrate.
- (iv) The roster point for appointment of Head teacher of Primary School shall commence from point 01.

8. **Procedure for appointment:-**

- (i) For the purpose of direct recruitment of Head teacher, Primary School, the Education Department shall after computing the vacancy and category wise roster clearance shall send a need based proposal to the Commission or the institution identified by the Department.
- (ii) After receipt of proposal for direct recruitment, the Commission or the Institution identified by the Department shall get the number of vacancies advertised. The Commission or the Institution identified by the Department shall evaluate the candidature of the teacher candidate on the basis of self declared qualification and experience.
- (iii) The determination of syllabi for holding examination shall be done by the Commission as per advice of the Administrative Department. The conduct of written examination in the light of prescribed syllabi, setting of question papers, evaluation of answer books and publication of result shall be done by the Commission or the Institution identified by the Department.
- (iv) The written examination shall be held for 150 marks having objectives as well as multiple choice questions. Every question shall bear one mark and there shall be 0.25 negative marking of every wrong answer. The duration of the examination shall be of two hours.
- (vi) The Commission or the Institution identified by the Department will have discretion to fix qualifying marks for written examination.
- (vii) The appointment shall be made on the basis of recommendation made by the Commission or the Institution identified by the Department.
- (viii) The recommendation of the Commission or the Institution identified by the Department shall not entitle to claim appointment unless the Administrative Department is satisfied that the candidate is eligible for

appointment as Head teacher in all respect after verification of all the essential certificates.

9. Verification of Certificates:-

- (i) The appointing authority would be liable to get all the educational / training / experience certificates and other essential certificates verified before issuance of appointment letter.
- (ii) In case of forged or wrong certificates the appointment shall be cancelled and the amount already paid as salary etc shall be liable to be recovered under the provision of Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 and other legal action would be taken.

10. Period of Probation:-

- (i) The Head teacher appointed under direct recruitment will have probation period of two years from the date of joining. In case of Probation period being unsatisfactory, the probation period may be extended for one year. In case service is not found satisfactory during extended period of probation the services of such Head teacher may be dispensed with after providing him an opportunity of hearing.
- (ii) During probation period the Head teacher will have to qualify prescribed Institutional or other training. The calendar of training and its syllabi shall be prescribed by the Department separately.

11. Departmental Examination.—Besides completing probation period satisfactorily and qualifying prescribed training, the Head teacher will have to qualify Departmental examination also. The detailed guidelines pertaining to Departmental examination shall be issued separately by the National Examination Committee Board of Revenue, Bihar as per advice of the Administrative Department.

12. Confirmation.—The services will be confirmed after completing probation period satisfactorily, completing training successfully and passing Departmental examination.

13. Seniority list:-

- (i) The inter se seniority of the Head teacher shall be in consonance with the principles laid down by General Administration Department.
- (ii) The seniority list shall be maintained at the District level.

14. Transfer:-

- (i) The post of Head teacher shall be transferrable.
- (ii) The transfer shall be made by the appointing authority concerned on the cadre post as per guidelines issued by the Cabinet Secretariat Department as well as Administrative Department from time to time.
- (iii) The transfer of Head teacher of Primary School shall be made Inter district on optional / administrative / academic ground for which the Director Primary Education shall be competent authority. In case of inter district transfer the seniority of concerned transferred Head teacher shall be placed below the concerned Head teacher of his appointment year in the transferred District.

15. Disciplinary action.—The Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (Amended from time to time) shall be applicable to the Head teacher appointed under these Rules.

16. Service Conditions:-

- (i) The salary of the Head teacher shall be determined by the State Government which shall be revisable from time to time in the light of pay revision.

- (ii) The cadre strength of the Head teacher shall be determined by the State Government from time to time.
- (iii) The other service conditions applicable to the State Government employee shall also be applicable upon them.

17. Appointment on Compassionate Grounds.—In case of death of Head teacher in harness, appointed under these Rules, subject to qualification, one of his dependent may be appointed against the vacant unit i.e. post of basic grade of elementary teachers or post of school assistant or school attendant by the concerned Panchayati Raj Institution and Urban bodies Institutions, for which the consent of concerned dependant shall be essential. The appointment on compassionate ground could be made by the recruitment committee constituted by the Panchayati Raj Institution or Urban local bodies in consonance with the provisions of General Administration Department.

18. Code of conduct:-

- (i) To complete/get the prescribed syllabi completed with easy available methods.
- (ii) To arrive at the School in time and to conduct classes / get conducted as per prescribed routine.
- (iii) To ensure child rights / safety and to ensure that the children may not be mentally and physically harassed.
- (iv) Not to consume any intoxication.
- (v) To take active part in eradication of social evils like child marriage and dowry system.
- (vi) To hold responsibility meant for teachers prescribed in Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the concerned Rules.
- (vii) The Bihar Government Servant Conduct Rules, 1976 (Amended from time to time) shall be applicable to Head teacher.

19. Complaint and Appeal.—The power to hear and decide complaint/Appeal pertaining to the Service Condition of the Head teacher appointed under these Rules shall be vested in the Director, Primary Education.

20. Miscellaneous.—The Administrative Department may clarify any of the provisions of these Rules and may rectify the difficulties in implementation of the same.

21. Repeal and Savings.—The provisions of Nationalized Primary School Teachers transfer, Disciplinary action and Promotion Rules, 2018 shall not be applicable for the post of Head teacher Primary School from the date of commencement of these Rules.

By the order of the Governor of Bihar,

Sanjay Kumar,

Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 21-571+3000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>